<u>न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	449/2016
CIS NO.	449/2016
CNR NO.	RJCH020020812016
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	28/2016
अंतर्गत धारा	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भादस
पुलिसथाना	रतननगर, चूरू

सरकार

बनाम

01. रमेश सिंह पुत्र संपत सिंह, उम्र 49 साल, निवासी वार्ड नंबर 06 रतननगर, पुलिस थाना रतननगर, जिला चूरू ।

02. मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद आसिफ, उम्र 54 साल, निवासी बेलानगर रेलवे फाटक के पास पुलिस थाना निश्चंदा जिला हावडा (पश्चिम बंगाल) । **(मफरूर)**

03. मोहम्मद अफरोज अहमद पुत्र अब्दुल मनान, निवासी वार्ड नंबर 03 पुरानी बाजार पूर्वा तुलसीपुर जिला बल्लभरामपुर (उत्तरप्रदेश) **(मृत्यु कार्यवाही ड्रोप)** ।

04. शाहिद कमाल दुरानी पुत्र अब्दुल रसीद खान, उम्र 54 साल, निवासी सावित्री नगर कानपुर हाल 198/1 तालीबसराय उन्नाव पुलिस थाना उन्नाव जिला उन्नाव (उत्तरप्रदेश) । **(मफरूर)**

-अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धाराः 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता</u>

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य ।
2. विद्वान अधिवक्ता-श्री शौकत अली खान वास्ते अभियुक्त रमेश ।

Date of Offence	10.07.2015 से 28.11.2015
Date of FIR	13.06.2016
Date of Chargesheet	24.12.2016
Date of Cognizance	24.12.2016

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

Date of Framing Charges	04.02.2017
Date of Commencement evidence	18.07.2025
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	10.07.2026
Arguments heard on	21.07.2026
Date of the Judgement	23.07.2026

-: निर्णय :- **दिनांकः-23.07.2026**

1. प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद अफरोज अहमद पुत्र अब्दुल मनान की मृत्यु होने के आधार पर उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है तथा शेष अभियुक्त मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद आसिफ एवं अभियुक्त शाहिद कमाल पुत्र अब्दुल रसीद खान प्रकरण में मफरूर है । अतः यह निर्णय उपस्थित अभियुक्त रमेश सिंह पुत्र संपत सिंह की हद तक पारित किया जा रहा है ।

2. परिवादी दयालाराम सैनी की ओर से हस्तगत प्रकरण जरिये इस्तगासा प्रदर्श पी 2 साररूप से इस आशय का दर्ज करवाया है कि 10 जुलाई 2015 को दैनिक भास्कर (शेखावाटी) में अभियुक्तगण रमेश सिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी वार्ड सं. 6, राजकीय अस्पताल के पास रतननगर एवं पुरुषोतम खटीक निवासी हौंडा ऐजेन्सी के पास राजगढ शेखावाटी जिला सीकर ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अम्बा ट्रेवल्स रतननगर के द्वारा सिंगापुर लोगों को रोजगार हेतु भेजे जाने का कहा और उस विज्ञापन मे बताया कि कार्टून होटल सिंगापुर में हाउस किपींग, सुपरवाईजर एवं क्लीनर की नौकरी दी जाती है, जिस पर परिवादी व परिवादी का परिचित विकास चन्द्र पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम धीरासर, तहसील मलसीसर जिला झुझनु (राज.) दोनों मुलजिमान ट्रेवल्स रतननगर गये तब वहां दोनों मुलजिमान परिवादी से मिले । अभियुक्तगण ने परिवादी व विकासचंद्र को बताया कि वे सिंगापुर में हाउस किपिंग सुपरवाईजर व क्लीनर की नौकरी के लिए लोगों को भेजते है और 1850 डॉलर सिंगापुर के हिसाब से प्रतिमाह वेतन मिलता है । इसके बाद अभियुक्तगण ने उनसे 50,000-50,000/- रूपये व पासपोर्ट ले लिया एवं उनको सिंगापुर के हॉटल का एग्रीमेंट दे दिया । उसके पश्चात दिनांक

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

28.10.2015 को परिवादी व विकासचंद्र से 1,50,000-1,50,000/- रूपये वीजा हेतु मांगे, जिस पर परिवादी व विकासचंद्र ने अभियुक्तगण के विश्वास में आकर रूपये दे दिये । कुछ समय बाद मुलजिमानों से संपर्क नहीं हुआ तो परिवादी ने भारतीय दूतावास से पता करने पर दोनों वीजा जाली होना बताया गया । इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ धोखाधडी कर दो-दो लाख रूपये हडप लिये...इत्यादि ।

3. उक्त इस्तगासा व एफ.आई.आर. के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. का दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन में पीडब्ल्यू 01 विकासचन्द्र, पीडब्ल्यू 02 पुरुषोतम, पीडब्ल्यू 03 रामचन्द्र कस्वां, पीडब्ल्यू 04 नंदलाल सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 गवाह का मुचलका, प्रदर्श 1 ए फर्द बरामदगी 9 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 2 इस्तगासा, प्रदर्श पी 3 चाक एफ.आई.आर नंबर 6/26 दफा 27 की इत्तला मुल्जिम अफरोज, प्रदर्श पी 3 ए चाक एफ.आई.आर नंबर 6/26 दफा 27 की इत्तला मुल्जिम अफरोज की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 4 फर्द बरामदगी दस्तावेज मूल, प्रदर्श पी 4 ए फर्द बरामदगी दस्तावेज मूल की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 5 फर्द गिरफ्तारी शाहिद कमाल, प्रदर्श पी 6 फर्द गिरफ्तारी मोहम्मद आजाद, प्रदर्श पी 7 फर्द गिरफ्तारी मोहम्मद अफरोज, प्रदर्श पी 8 फर्द गिरफ्तारी रमेश सिंह, प्रदर्श पी 9 फर्द इतलाह वीजा, प्रदर्श पी 10 फर्द जब्ती फोटोप्रति वीजा अभियुक्त शाहिद कमाल, प्रदर्श पी 10 ए फर्द जब्ती की फोटोप्रति, प्रदर्श 38 एफ आई आर 10/2016 न्यायालय हाजा के मुकदमा नंबर 227/2016 में गूगल एड्रेस, प्रदर्श 38 ए न्यायालय हाजा के मुकदमा नंबर 227/2016 में गूगल एड्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित किये गये ।

5. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त रमेश को धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया व जाहिर किया कि वह निर्दोष है एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर बंद की गई।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को रोजगार हेतु सिंगापुर भेजने की प्रवंचना देकर 2 लाख रूपये बेईमानीपूर्वक आशय से हडप लिये और कूटरचित वीजा तैयार कर उसे परिवादी को असल के उपयोग में लाते हुए दे दिया । अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में कठोर दड से दंडित किया जावे ।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है एवं अभियोजन पक्ष का कोई भी साक्षी अभियुक्त के विरूद्ध कथन नहीं करता है। अंततः अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -

(1) आया अभियुक्त द्वारा अन्य व्यक्ति अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए परिवादी दयालाराम को रोजगार हेतु सिंगापुर भेजने की प्रवंचना देकर 2 लाख रूपये बेईमानीपूर्वक आशय से हडप लिये और कूटरचित वीजा तैयार कर उसे परिवादी को असल के उपयोग में लाते हुए दे दिया?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु संख्या 1 पर न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार हैः-

(1) उपरोक्त बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 04 गवाह प्रकरण में परीक्षित हुए है । गवाह पीडब्ल्यू 01 विकासचन्द्र न्यायालय में अभियोजन के पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है । गवाह पीडब्ल्यू 02 पुरुषोतम ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि अभियुक्त रमेश सिंह ने किसी का भी पासपोर्ट और रूपये नहीं लिये थे । इस प्रकार यह गवाह भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देता है । गवाह पीडबल्यू 3 रामचन्द्र कस्वां, पीडबल्यू 4 नंदलाल सिंह इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किये अनुसंधान के संबंध में क्रमवार साक्ष्य देते हैं । जिरह में गवाह पीडबल्यू 3 रामचन्द्र कस्वां यह कथन करता है कि अभियुक्त रमेश सिंह द्वारा कोई फर्जी वीजा तैयार नहीं किया गया था । अभियुक्त शाहिद कमाल, मोहम्मद आजाद, अफरोज अहमद तीनों ने कलकत्ता में एक लिंक इंटरनेशनल नाम से फर्जी कंपनी खोल रखी थी, जिसके द्वारा लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देकर ठगी करते थे । गवाह पीडब्ल्यू 4 नंदलाल सिंह के द्वारा जिरह में यह कथन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रमेश सिंह द्वारा

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

परिवादी दयालाराम के साथ कोई धोखाधडी कर पासपोर्ट व रूपये नहीं लिये ।

10. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कोई भी गवाह अभियुक्त रमेश सिंह द्वारा परिवादी दयालाराम से विदेश भेजने के नाम पर प्रवंचना देते हुए कोई भी रूपये प्राप्त किये गये हो अथवा वीजा की कूटरचना कर वीजा दिया गया हो, ऐसे लेशमात्र भी कथन न्यायालय में नहीं करते हैं । प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पीडबल्यू 4 नंदलाल सिंह अभियोजन के आरोपों के विपरीत अभियुक्त रमेश सिंह द्वारा परिवादी से धोखाधडी किये जाने व उसे फर्जी वीजा दिये जाने से स्पष्ट इन्कारी अपनी जिरह में करता है । इस कारण उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त रमेश सिंह द्वारा परिवादी को विदेश भेजने के नाम पर प्रवंचना देकर 2 लाख रूपये हडप कर फर्जी वीजा तैयार कर दिया गया हो ।

11. ऐसी दशा में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन विचारणीय बिंदु संख्या 1 को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है । अतः अभियुक्त रमेश सिंह पुत्र संपत सिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

12. अतः अभियुक्त रमेश सिंह पुत्र संपत सिंह, उम्र 49 साल, निवासी वार्ड नंबर 06 रतननगर, पुलिस थाना रतननगर, जिला चूरू को आरोप अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्तगण मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद आसिफ एवं शाहिद कमाल दुरानी पुत्र अब्दुल रसीद खान इस प्रकरण में मफरूर हैं। अतः पत्रावली के मुखपृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि <u>"अभियुक्तगण मफरूर हैं। अतः पत्रावली का कोई भाग नष्ट न किया जावे।"</u>

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

14. निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)